



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2017/फाल्गुन 18, 1938

No. 168]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2017/PHALGUNA 18, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2017

**सा.का.नि. 211(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 की 38) की धारा 124 की धारा (1) के साथ पठित धारा 132 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्र सरकार एतद्वारा कोचिन पोर्ट के लिये न्यासीमण्डल द्वारा बनाये गये कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 का अनुमोदन करती है एवं इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में व्यक्त करती है।

2. उक्त संशोधन विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पीआर-12012/3/2015-पीई-1]

प्रवीर कृष्ण, संयुक्त सचिव

**अनुसूची**

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति)

संशोधन विनियम, 2017

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 की 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कोचिन पोर्ट के न्यासीमण्डल एतद्वारा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 में आगे संशोधन के लिये निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, जैसे कि:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (i) इन विनियमों को “कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017” कहा जा सकेगा।

- (ii) ये विनियम महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 एवं धारा 132 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित केन्द्र सरकार के अनुमोदन से सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2 कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 के अनुसूची में यांत्रिक अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत सहायक कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार) पदों के लिये क्रमांक 1 में कॉलम 13 के अंतर्गत प्रविष्टियों को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- “कुल 9 पदों में से पदों का वितरण निम्न प्रकार से किया जायेगा :
- (i) यांत्रिक— 5 पद
- (ii) विद्युत— 4 पद
- विद्युत संवर्ग में 4 पदों के लिये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार के संवर्ग से सहायक अभियंता आपसी वरिष्ठता के आधार पर योग्य विवेचित होंगे।”

**पाद टिप्पणी :** प्रधान विनियम सा.का.नि. 862(अ) दिनांक 28.10.2010 को प्रकाशित किया गया। तत्पश्चात् सा.का.नि. 849(अ) दिनांक 25.10.2014, सा.का.नि. 604(अ) दिनांक 31.07.2015, सा.का.नि. 644(अ) दिनांक 30.06.2016 एवं सा.का.नि. 649(अ) दिनांक 01.07.2016 को संशोधित किया गया।

## MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2017

**G.S.R. 211(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017, made by the Board of Trustees for the Port of Cochin, and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12012/3/2015-PE-I]

PRAVIR KRISHN, Jt. Secy.

### SCHEDULE

#### COCHIN PORT TRUST

#### Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion)

#### Amendment Regulations, 2017

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Port of Cochin hereby makes the following Regulations further to amend the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010 namely:—

#### 1. Short Title and commencement

- (i) These Regulations may be called the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Official Gazette.

2. In the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, in the Schedule, under the Mechanical Engineering Department for the post of Assistant Executive Engineer (Mechanical/Electrical/Electronics and Communication) at Sl.No. 1, the entries under Column 13 shall be substituted as under:—

“Out of the total number of 9 posts, the allocation of posts shall be as under:

(i) Mechanical – 5 posts

(ii) Electrical – 4 posts

For the 4 posts in Electrical discipline, Assistant Engineers from the disciplines of Electrical, Electronics and Communication will be eligible on the basis of inter-se seniority.”

**Foot Note :** Principal Regulations published vide G.S.R. 862(E) dated 28.10.2010. Subsequently amended vide G.S.R. 849(E) dated 25.10.2014, G.S.R. 604(E) dated 31.07.2015, G.S.R. 644(E) dated 30.06.2016 and G.S.R. 649(E) dated 01.07.2016.